5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(76)

IN THE HONB'LE REVENUE BOARD AT GWALIOR, M.P.

Revision No. /2018

निगरानी - 6125/2018/ टीकमगढ़/ भू.रा.

Appellant : 1. Kashi Tanay, Ramdeen Bhraman R/o Putrikhera, Tikamgarh, Madhya Pradesh.

2. Manik Tanay, Ramdeen Bhraman R/o Niwadi, Tikamgarh, Madhya Pradesh.

16/10/18

27.10.18

16.10.18

VERSUS

Respondent : 1. Govind Das Tanay Ramdeen Bhraman.

2. Lokendra Tanay Rajendra Kumar Bhraman.
3. Shailendra Tanay Rajendra Kumar Bhraman.
4. Kamlesh(Dherendra)RajendraKumarBhraman.
5. Amit, Ankit Tanay Satendra Bhraman.
6. Abhishek Tanay PremNarayan Bhraman.
7. Harsh Tanay Manoj Bhraman.
8. Harshit Tanay Manoj Bali S/o Manoj Bhraman

All Residence : Giddakhini, Niwadi, Tikamgarh, Madhya Pradesh.

16/10/18

REVISION U/S 50 OF THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE WITH AMENDMENT 2018 AGAINST THE ORDER DATED 04.10.2018 PASSED BY LEARNED ADDITION COMMISSIONER ~~NIWADI, TIKAMGARH~~ SAGAR, MADHYA PRADESH ANNEXED AS ANNEXURE A-1.

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक:- निग/6125/18/टीकमगढ/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/10/18	आवेदक अधिवक्ता श्री आशीष शर्मा उपस्थित। उन्हें प्रकरण की ग्राहयता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालीन प्रकरण क्र0 15/अपील/18-19 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4/10/18 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमो एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया आवेदक से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण प्रथम दृष्टया सिद्ध किया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन पर विचार न करने की भूल की जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन निरस्त किया गया है। 3/ विचारोपरांत आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का अंतरिम आदेश दिनांक 4/10/18 निरस्त किया जाकर उपखंड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/09/18 का क्रियान्वयन आगामी 3 माह के लिए स्थगित किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपील प्रकरण क्र0 15/अपील/18-19 का 3 माह में निराकरण करें। सदस्य	